राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा विषय पर पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

दिनांक 4 मई 2017

प्रशिक्षण रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा सेव द् चिल्ड्रन, राजस्थान जयपुर के सहयोग से दिनांक 4 मई 2017 को पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारयों का महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक श्रीमती अनुकृति उज्जैनियां, अति. पुलिस अधीक्षक एवं सहायक निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने प्रशिक्षण के उद्देश्य बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण के द्वारा समाज के अति संवेदनशील समूह महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं संवेदनशीलता का विकास करना है ताकि पुलिस अधिकारी थाने पर आने वाली महिलाओं के प्रति त्वरित कार्यवाहियां कर उन्हे न्याय दिला सके। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों को इस प्रशिक्षण से इसलिए जोडा गया है कि वे पीडित बालिकाओं के लिए कानूनी प्रावधानों को जान सके एवं पुलिस के साथ मिलकर पीडित बालिकाओं को परामर्श एवं पुनर्वास के लिए बेहतर सेवाएं देन के लिए उत्प्रेरित हो सके।

श्री रमाकान्त सतपथी, सहायक प्रबन्धक सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने जेण्डर अवधारणा पर अपनी बात रखी। उन्होने भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेदों में कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जाति, लिंग आधारित भेदभाव की मनाही एवं अवसरों में बराबरी के अधिकार पर विस्तृत चर्चा की। जेण्डर संवेदनशीलता की आवश्यकता पर कहा कि इससे लिंग सम्बन्धी भेदभाव को मिटाकर सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी सम्मान और सकारात्मकता को बढावा मिलता है। उन्होने महिलाओं की उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें जेण्डर सम्बन्धो के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक भेद प्राय: नजर आते है।

श्रीमती जसविन्दर कौर, सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न अधिनियम के बारे में जानकारी दी। उन्होने महिलाओं के प्रति रूढिगत धारणाओं को बढावा देने में व्यक्तियों का नजरिया, पाबन्दियां, रीति रिवाज, भाषा एवं मीडिया की भूमिकाएं बतायी।

प्रो. डॉ. लाडकुमारी जैन, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान महिला आयोग, जयपुर ने सत्र को सम्बोधित कर सामाजिक सुरक्षा के संदर्भो में महिलाओं की स्थितियों को जेण्डर के दृष्टिकोणों से व्याख्या करते हुए कहा कि देश में महिलाओं की स्थितियों में बदलाव के लिए बहुत प्रयास हुए हैं लेकिन अब भी संतोषजनक स्थितियां नहीं बन पायी है। उन्होने महिला सुरक्षा की अवधारणाओं, सिद्धान्त, प्रक्रियाओं राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बताया एवं राज्यों में इसके तहत किये गये प्रयासों के बारे में जानकारियां दी। महिलाओं एवं पुरूषों को विकास एवं सेवाओं के समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल दिया। उन्होने पुलिस में महिलाओं के लिए व्यवहार मनोविज्ञान, सामुदायिक पुलिस गतिविधियों एवं जिला स्तर पर महिला केसेज की अलग से समीक्षा की जाने की महता बतायी।

अन्तिम सत्र में श्री रघुवीर सिंह उप पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी, पुलिस थाना, पीसीपीएनडीटी एक्ट ने गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 पर सम्बोधित किया। उन्होने भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को चिन्ता का विषय बताते हुए अधिनियम में पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गयी कार्यवाहियों एवं विभागीय योजनाओं पर जानकारियां प्रदान की।

समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री राजीव दासोत, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों को जेण्डर संवेदनशीलता विषय पर इस साझे प्रशिक्षण कार्यक्रम को उपयोगी बताया। उन्होने कहा कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ये दोनो ही प्रमुख सोपान है जो मिलकर बेहतर कार्यवाहियां करते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते है। श्री संजय निराला, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, सेव द् चिल्ड्रन ने अकादमी के साथ इस प्रशिक्षण का अभिनव प्रयास बताते हुए आशा व्यक्त की कि इससे महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित समाज के निर्माण में मदद मिलेगी एवं हिंसा करने वालों पर कठोर कार्यवाहियां होगी। समापन सत्र के दौरान ही निदेशक महोदय द्वारा कोर्स में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र वितरित किये गये।

कार्यक्रम के अन्त: में श्री रमाकान्त सतपथी, सहायक प्रबन्धक सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने मुख्य अतिथि महोदय एवं सहभागी पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षण में 92 अधिकारी सम्मिलित हुए।